न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-56/2023

राज्य

बनाम्

विनिता टोप्पो वगैरह

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 807/अप०शा० दिनांक 21.04.2023 से बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 दिनांक–25.02.2023 में जप्त वाहनों को राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 दिनांक–25.02.2023 से संबंधित है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि चन्द्रशेखर दुबे, सहायक अवर निरीक्षक, बालूमाथ थाना के टंकित आवेदन के आधार पर बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 दिनांक–25.02.2023 दर्ज किया गया। चन्द्रशेखर दुबे, सहायक अवर निरीक्षक को वरीय पदाधिकारी से सूचना प्राप्त हुई कि बालूमाथ एवं चन्दवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत संचालित ईंट भट्ठा के मालिकों के द्वारा मोटरसाईकल से चोरी छिपे अवैध कोयला खरीदा जा रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु चन्द्रशेखर दुबे, सहायक अवर निरीक्षक, बालूमाथ थाना ने गश्ती दल के साथ जोगियाडीह मोड़ के पास पहुंच कर समय करीब 03:40 बजे सशस्त्र बल के सहयोग से वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बालूमाथ ओभरब्रीज के तरफ से कुछ मोटरसाईल आता दिखाई दिया, जिसे सशस्त्र बल के द्वारा टॉर्च जला कर रूकने का ईशारा किया गया, तो सभी मोटरसाईकल

उपरोक्त सभी विपक्षीगण बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 में पूर्णतः निर्दोश है तथा काण्ड से उनका कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त लंबित कार्यवाही का प्रावधान MMDR अधिनियम 1957 संशोधित अधिनियम 2015 झारखण्ड सरकार की अधिसूचना 27 जनवरी 2018 नियमावली II (V) के अन्तर्गत माननीय उपायुक्त महोदय को वाहन राजसात करने को शक्ति प्रदान करता है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा–21 (4A) के प्रावधान के अन्तर्गत वाहन अधिग्रहण राजसात का अधिकार उसी समक्ष न्यायालय पर निहित है जो कि उपरोक्त अभियोग का संज्ञान लेने में सक्षम है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा–22 के अन्तर्गत माननीय मुख्य दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी ही उपरोक्त अधिनियम के अपराध का संज्ञान लेने के सक्षम पदाधिकारी है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा–21 (4A) तथा MMDR अधिनियम 1957 संशोधित वर्ष 2015 झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 27.01.2018 के नियम–II (V) आपस में विरोधाभाषी है कि वाहन राजसात की कार्यवाही माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय या माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में चलना उचित होगा या नहीं। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची ने नवीन कुमार चौधरी बनाम् झारखण्ड राज्य दिनांक 03.03.2021 को निर्गत अपने आदेश में स्पष्ट आदेशित किया है कि वाहन से संबंधित राजसात की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा धारा–21 (IVA) तथा 22 के आलोक में होना ही न्यायोचित होगा।

विपक्षी गुरुचरण गोराई द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया है कि बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 में जप्त हिरो होण्डा मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH1S-1841 चेसीस नं0–06JACF21476 इंजन नं0–06JA CE21269 उनके पास मौजूद है। इस घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है तथा अपने जीवन में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है। इन्हें इस मामले में झूठा फसाया गया है। इनके द्वारा इस मामले से नाम हटाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी महेश्वर साव के पुत्र नकुल कुमार द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया है कि मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH07C-6463 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा मुक्त करने का आदेश पारित किया है। वास्तविक मोटरसाईकल के मालिक महेश्वर साव का निधन दिनांक 17.03.2021 को हो गया है तथा उक्त मोटरसाईकल को महेन्द्र राम के साथ जनवरी 2021 में हीं बिक्री कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि कोयला की चोरी जान बुझकर नहीं किया गया है।

बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 दिनांक–25.02.2023 में जप्त मोटरसाईकल रजि0 नं0 (1) JH19D-1262 वाहन मालिक विनिता टोप्पो (2) JH19D-7539 वाहन मालिक चरवा उरांव (3) JH03AA-1915 वाहन मालिक

रामजीत भगत, (4) JH013C-0318 वाहन मालिक उपेन्द्र राम, (5) JH07C-6463 वाहन मालिक महेश्वर साव के पुत्र नकुल कुमार एवं (6) JH01BC-6024 वाहन मालिक जगरनाथ यादव द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बताया गया कि हमलोग गरीब व्यक्ति हैं। कोयला जलावन के लिए ले जा रहे थें। कभी भी इसकी पुनरावृति नहीं करेंगे। बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 में जप्त उपरोक्त मोटरसाईकल को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13(i) Any person, who contravenes any of the provision of these rules, or buys or sells or stores minerals except under and in accordance with the terms and conditions of dealers registration or who transports the minerals except as mentioned in the transport challan or transport minerals without transport challan shall be punishable as per provision made under JMMC Rule, 2004 and as amended from time to time."

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 54(5) यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म 'डी' में परिवहन चालान दिखाने में असफल रहता है तो उसे अधिकतम 01 वर्ष की कैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड दिया जा सकता है।

मोटरसाईकल से परिवहन किये जा रहे कोयला का मात्रा कम है तथा प्रथम दृष्टया ये लोग गरीब व्यक्ति लग रहे हैं। इनलोगों की यह पहली घटना है तथा न्यायालय के समक्ष स्वीकार किये कि जानकारी के अभाव में कोयला का बिना उचित दस्तावेज के जलावन के उपयोग के लिए ले जा रहे थे, जिसकी पुनरावृति नहीं होगी। इनलोगों के विरूद्ध इस वाद के अलावे पूर्व से कोयला चोरी का अपराधिक मामला दर्ज होने का साक्ष्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 दिनांक–25.02.2023 में जप्त मोटरसाईकल रजि0 नं0 (1) JH19D-1262 वाहन मालिक विनिता टोप्पो (2) JH19D-7539 वाहन मालिक चरवा उरांव (3) JH03AA-1915 वाहन मालिक रामजीत भगत, (4) JH013C-0318 वाहन मालिक उपेन्द्र राम, (5) JH07C-6463 वाहन मालिक महेश्वर साव के पुत्र नकुल कुमार एवं (6) JH01BC-6024 वाहन मालिक जगरनाथ यादव मो0 दस हजार रूपये (प्रत्येक मोटरसाईकल) अर्थ दण्ड सरकारी कोष (JIMMS) में भुगतान करने तथा दस हजार का बंध पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी के साथ राजसात की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है।

मोटरसाईकल रजि० नं०–JH01S-1841 के मालिक गुरूचरण गोराई द्वारा दाखिल जबाब में चेसीस नं०–06JACF21476 एवं इंजन नं०–06JACE21269 अंकित किया गया है एवं बताया गया कि उनका मोटरसाईकल घर पर है।. जबकि बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 में इंजन नम्बर–02K13E07266 दर्ज है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 में जप्त मोटरसाईकल रजि० नं०–JH01S-1841 के इंजन का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अभिलेख पुनः सुनवाई के लिए रखा जायेगा। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा सत्यापन के क्रम में जप्त मोटरसाईकल इंजन नं०–02K13E07266 का रजिस्ट्रेशन नम्बर फर्जी पाये जाने पर चालक रोहित टोप्पो, पे०–जयप्रकाश टोप्पो, सा०–चेताग, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के विरूद्ध स्थानीय थाना में सुसंगत धाराओं के तहत् प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–35/2023 में जप्त मोटरसाईकल के साथ पकड़े गये 15 क्विंटल कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जप्त कोयले की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:34:51 +05:30
Location: 192.168.5.143